



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



17 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 71 राँची, मंगलवार,

6 फरवरी, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

12 जनवरी, 2024

संचिका सं०-5/स०भू० गिरिडीह Vedanta (क्षतिपूरक वनरोपण)-193/2023-115(5)/रा०,
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय :-

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.12.2023 को मद संख्या-20 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत अंचल-पीरटांड के मौजा-अंगैया एवं मंझलीडीह (विस्तृत भूमि विवरणी तालिका-1) में कुल रकबा-92.24 एकड़ भूमि का कुल संगणित राशि 7,15,37,498/- (सात करोड़ पंद्रह लाख सैंतीस हजार चार सौ अठानवे) रुपये मात्र (विस्तृत कुल देय संगणित राशि विवरणी तालिका-2) ESL Steel Limited, Vedanta, Bokaro द्वारा भुगतान पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को स्थायी भू-हस्तांतरण के संबंध में।

आदेश-

स्वीकृत।

i. भूमि की विवरणी :-

तालिका-1

क्र.	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (ए० में)	भूमि का किस्म
1	01/2022-23	पीरटांड	अंगैया	37	31	847	19.05	गैरमजरूआ खास जंगल
						12	05.50	
						215	16.25	
						16	15.50	
				मौजा-अंगैया का कुल रकबा:-		56.30		
2	02/2022-23	पीरटांड	मंझली डीह	178	01	44	12.50	गै० खास जंगल
						50	06.39	गै० खास जंगल
						302	06.00	गै० खास, परती कदीम
						304	11.05	गै० खास, परती कदीम
				मौजा-मंझलीडीह का कुल रकबा:-		35.94		
सकल कुल रकबा-							92.24	

ii. भूमि के हस्तांतरण से संबंधित कुल देय संगणित राशि की गणना विवरणी :-

तालिका-2

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में)	व्यवसायिक वार्षिक लगान(सलामी का 5%) (रूपये में)	वार्षिक लीज़ रेंट का पूंजीकृत मुल्य(लगान X 25 गुणा)	देय सेस का पूंजीकृत मुल्य(लगान के 145% का 25 गुणा) (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/2022-23	अंगैया	56.30	190906.66	10748044.96	537402.25	13435056.20	19480831.5	43663932.66
2	02/2022-23	मंझलीडीह	35.94	190906.66	6861185.36	343059.27	8576481.75	12435898.5	27873565.61
कुल-			92.24	-----	17609230.32	880461.52	22011537.95	31916730	71537498.27 या 7,15,37,498

अर्थात् 7,15,37,498/- (सात करोड़ पंद्रह लाख सैंतीस हजार चार सौ अठानवे) रुपये मात्र।

- III. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- IV. उपायुक्त, गिरिडीह प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- V. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, गिरिडीह यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
- VI. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क अधियाची/संस्था द्वारा देय होगा।
- VII. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची/संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची/संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची/संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- VIII. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 एवं विभागीय अधिसूचना सं०-3842/रा०, दिनांक-24.11.2023 में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,

सरकार के अपर सचिव।
